



Madhya Pradesh Tenders

eProcurement System Government of Madhya Pradesh

Tender Details

Date : 11-Apr-2026 04:21 PM

Print

Basic Details

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| Organisation Chain | MP Forest Department MP Forest - Jabalpur Circle Division Jabalpur | | |
| Tender Reference Number | 917 | | |
| Tender ID | 2026_MPFDD_499670_1 | Withdrawal Allowed | Yes |
| Tender Type | Open Tender | Form of contract | Item Rate |
| Tender Category | Goods | No. of Covers | 2 |
| General Technical Evaluation Allowed | No | ItemWise Technical Evaluation Allowed | No |
| Payment Mode | Online | Is Multi Currency Allowed For BOQ | No |
| Is Multi Currency Allowed For Fee | No | Allow Two Stage Bidding | No |

Payment Instruments

| Online Bankers | S.No | Bank Name |
|----------------|------|--------------------|
| | 1 | INDUSIND BANK |
| | 2 | INDUSIND NEFT/RTGS |

Cover Details, No. Of Covers - 2

| Cover No | Cover | Document Type | Description |
|----------|-----------------------|---------------|------------------|
| 1 | Fee/PreQual/Technical | .pdf | Tender Documents |
| 2 | Finance | .xls | BoQ |

Tender Fee Details, [Total Fee in ₹ * - 1,295]

| | | | |
|--|-------|----------------|-----|
| Tender Fee in ₹ | 1,000 | | |
| Processing Fee in ₹ (18.00% GST Incl.) | 295 | | |
| Fee Payable To | Nil | Fee Payable At | Nil |
| Tender Fee Exemption Allowed | No | | |

EMD Fee Details

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------------|-----|
| EMD Amount in ₹ | 50,000 | EMD Exemption Allowed | Yes |
| EMD Fee Type | fixed | EMD Percentage | NA |
| EMD Payable To | Nil | EMD Payable At | Nil |

Click to view modification history

Work /Item(s)

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Title | Cement And Other Items Tender | | | | |
| Work Description | Cement And Other Items Tender | | | | |
| Pre Qualification Details | Please refer Tender documents. | | | | |
| Independent External Monitor/Remarks | ok | | | | |
| Show Tender Value in Public Domain | Yes | | | | |
| Tender Value in ₹ | 15,00,000 | Product Category | Miscellaneous Goods | Sub category | NA |
| Contract Type | Rate Contract | Bid Validity(Days) | 270 | Period Of Work(Days) | 15 |
| Location | Jabalpur | Pincode | 482001 | Pre Bid Meeting Place | Division Office Jabalpur |
| Pre Bid Meeting Address | Division Office Jabalpur | Pre Bid Meeting Date | 28-Apr-2026 04:00 PM | Bid Opening Place | Division Office Jabalpur |
| Should Allow NDA Tender | No | Allow Preferential Bidder | No | | |

Critical Dates

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Publish Date | 11-Apr-2026 04:20 PM | Bid Opening Date | 04-May-2026 09:00 AM |
| Document Download / Sale Start Date | 12-Apr-2026 10:00 AM | Document Download / Sale End Date | 02-May-2026 05:00 PM |
| Clarification Start Date | NA | Clarification End Date | NA |
| Bid Submission Start Date | 12-Apr-2026 10:00 AM | Bid Submission End Date | 02-May-2026 05:00 PM |



Documents

| S.No | Document Name | Description | Document Size (in KB) |
|------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Tendernotice_1.pdf | NIT | 830.87 |

| S.No | Document Type | Document Name | Description | Document Size (in KB) |
|------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Tender Documents | CementandOtheritemsTenderForm.pdf | Tender Documents | 914.85 |
| 2 | BOQ | BOQ_601500.xls | BoQ | 406.50 |

Bid Openers List

| S.No | Bid Opener Login Id | Bid Opener Name | Certificate Name |
|------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | mlwarkade110@gmail.com | MANIK LAL WARKADE | Manik Lal Warkade |
| 2. | dmd.pradeep.shrivastava@gmail.com | PRADEEP KUMAR SHRIVASTAVA | PRADEEP KUMAR SHRIVASTAVA |
| 3. | dubeyshp@gmail.com | SADHNA CHAKRAWARTI | SADHANA CHAKRAWARTI |

Tender Properties

| | | | |
|---------------------------------|--------|--|-----------------------|
| Auto Tendering Process allowed | No | Show Technical bid status | Yes |
| Show Finance bid status | Yes | Stage to disclose Bid Details in Public Domain | Technical Bid Opening |
| BoQ Comparative Chart model | Normal | BoQ Compative chart decimal places | 2 |
| BoQ Comparative Chart Rank Type | H | Form Based BoQ | No |

Tender Inviting Authority

| | |
|---------|------------------------------------|
| Name | Divisional Forest Officer jabalpur |
| Address | Division Office Jabalpur |

Tender Creator Details

| | |
|--------------|----------------------|
| Created By | SADHNA CHAKRAWARTI |
| Designation | ACCOUNT |
| Created Date | 11-Apr-2026 04:16 PM |



कार्यालय, वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जबलपुर मध्यप्रदेश

फोन : +91-761-2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क्रमांक/व्यय/Hri./2025-26/917
प्रति,

जबलपुर, दिनांक/10/04/2026


संचालक
विज्ञापन शाखा
जनसंपर्क भवन परिषद
म.प्र. भोपाल

विषय :- निविदा विज्ञापन प्रकाशन बाबत।

—00—

जबलपुर वनमंडल के अंतर्गत वानिकी कार्यों/ अधोसंरचना विकास कार्यों में उपयोग हेतु सामग्रियों का क्रय निविदा के माध्यम से किया जाना है जिस हेतु निविदा विज्ञापन की प्रति आपको भेजी जा रही है। कृपया विज्ञप्ति का प्रकाशन एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 12/04/2026... तक प्रकाशित करने का कष्ट करे, साथ ही समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस कार्यालय में भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर

पृष्ठांकन/व्यय/Hri./2025-26/917

जबलपुर दिनांक/ 10/04/2026

प्रतिलिपि :1. मुख्य वन संरक्षक, मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
संलग्न :- विज्ञप्ति की प्रति।


वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर



खंड -1

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर मध्य प्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या _____/ई-टेंडरिंग/2026-27 दिनांक _____/2026

1. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं लेखा उपार्जन नियम 2015(यथा संशोधित-2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

| सामग्री का विवरण | इकाई | अनुमानित मात्रा | सत्यांकार निधि | निविदा दस्तावेजों का मूल्य | |
|--|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Cement P.P.C. (ISI Mark) 50 K.G. Bag | Nos | - | 50000.00/- | 1000.00/- | |
| 2 Iron 8 MM (ISI Mark) | k.g. | | - | | |
| 3 Iron 10 MM (ISI Mark) | k.g. | | | | |
| 4 Iron 12 MM (ISI Mark) | k.g. | | | | |
| 5 Metal 40 MM | Cubic Meter | | | | |
| 6 Metal 20 MM | Cubic Meter | | | | |
| 7 Metal 10 MM | Cubic Meter | | | | |
| 8 Dust | Cubic Meter | | | | |
| 9 Sand | Cubic Meter | | | | |
| 10 Murum | Cubic Meter | | | | |
| 11 Red Burnt Bricks Size 9x4x3 Inch | Nos | | | | |

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 12.04.2026 बजे 10:00AM से दिनांक 02.05.2026 बजे 05:00 PM तक केवल ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होंगी।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक 28.04.2026 समय 04:00 PM से 05:00 PM तक सामान्य वनमंडल जबलपुर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।
- निविदा से संबंधित समय सारणी ऑनलाइन <https://www.mptenders.gov.in> पोर्टल में देखी जा सकती है।
- ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नहीं।
- टीप-उपरोक्त तिथि अनुमानित है कार्य सुविधा अनुसार तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल:

<https://www.mptenders.gov.in/>


वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

| क्रमांक | जानकारी | विवरण |
|---------|--|---|
| 1. | संक्षिप्त विवरण | सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. अंतर्गत वानिकी कार्य/अधोसंरचना विकास कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्रियों के क्रय हेतु दरो की निविदा |
| 2. | ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या | |
| 3. | निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत | 1000.00 + प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित) |
| 4. | सत्यांकर निधि | 50000.00/- |
| 5. | निविदा प्रस्ताव की वैधता | उस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है। |
| 6. | निष्पादन सुरक्षा | 50000.00/- |
| 7. | अनुमानित निविदा मूल्य | 1500000.00/- |
| 8. | निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय | (पोर्टल पर शेड्यूल देखें) |
| 9. | निविदा जमा करने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि) | (पोर्टल पर शेड्यूल देखें) |
| 10. | प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि | (पोर्टल पर शेड्यूल देखें) |
| 11. | प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि | (पोर्टल पर शेड्यूल देखें) |
| 12. | जमा करने का प्रकार | ऑनलाइन जमा https://www.mptenders.gov.in/ पर करें |

1. निविदा की स्वीकृत दरो की वैधता सफल निविदाकार और वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. के बीच आपसी सहमति के अधीन 90दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
3. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालांकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
4. प्रति निविदाकार एक निविदा:

- निविदाकार एक व्यक्तिगत ईकाई या संयुक्त उद्ध्यम हो सकता है। संयुक्त उद्ध्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।
2. कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एस से अधिक निविदाएं प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है तो, निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदाएं अयोग्य मानी जावेगी।
 5. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा, और इसके लिये सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जायेगा।
 6. निविदाकार को सलाह दी जाती है की वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करे और निरीक्षण करे तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिये आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करे। इस संबंध में सभी खर्च निविदाकार को वहन करना होगा।

(ब) निविदा दस्तावेज

निविदाकारो को अपनी निविदा के साथ निम्न लिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-

- I. जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- II. पैन कार्ड
- III. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न
- IV. 100 रूपये के स्टॉप पेपर पर पूरा अनुलग्नक-1 (नोट्राईज़ अनिवार्य है।)
- V. पूरा अनुलग्नक-2
- VI. पूरा अनुलग्नक-3
- VII. सी.ए. प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण-पत्र
- VIII. दुकानो और प्रतिष्ठान पंजीकरण
- IX. एम.एस.एम.ई. प्रमाण-पत्र यदि ई.एम.डी. छूट मांगी गई है
- X. स्टार्टअप इंडिया प्रमाण-पत्र यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है (अनुलग्नक 4.खंड (I) और (II))
- XI. अनुलग्न - 4 (पूर्व योग्यता मापदण्ड) की कंडिका II के अनुरूप पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदो की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होनी चाहिए।
- XII. अनुलग्नक - 8
- XIII. Authorized Dealership Certificate (Only for Cement and iron)

8. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशो और शर्तो की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। एसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

टीप :- 1. निविदाकार को सामग्री का प्रदाय परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा बताये गये कार्य स्थल तक पहुंचाना होगा। तथा सामग्री प्रदाय हेतु परिवहन में होने वाला व्यय निविदाकार को वहन करना होगा, परिवहन हेतु की भी प्रकार का भुगतान विभाग द्वारा प्रथम से नहीं किया जावेगा।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टार्टअप एवं एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र संबंधित सामग्री के निर्माण ट्रेड या व्यापार से संबंधित होना चाहिए तभी इ.एम.डी. की छूट के लिये वैध माना जावेगा।

9. निविदा पूर्व बैठक (जहा लागू हो)

जहा भी निविदा दस्तावेज में निविदा पूर्व बैठक का प्रावधान है:

9.1 ई-निविदा आमंत्रण सूचना में स्थान, तिथि और समय का उल्लेख किया जायेगा। निविदा पूर्व बैठक के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव केवल वेबसाईट पर अधिसूचित किया जायेगा, और निविदाकारो को अलग से सूचित नहीं किया जायेगा।

9.2 कोई भी संभावित निविदाकार निविदा पूर्व बैठक से पहले या उसके दौरान लिखित रूप में अपने प्रश्न उठा सकता है अथवा स्पष्टीकरण मांग सकता है। एसी बैठक का उद्देश्य मुद्दो को स्पष्ट करना और उस चरण में उठाये जाने वाले किसी भी मामले पर सवालो के जवाब देना है। निविदाकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे स्पष्टीकरण दे सकता है जो उसे आवश्यक लगे।

9.3 निविदापूर्व बैठक का कार्य विवरण जिसमे उठाये गये प्रश्नो का सार और दिये गये उत्तर तथा बैठक के बाद तैयार किये गये किसी भी उत्तर को शामिल किया जायेगा, वेबसाईट पर प्रस्तुत किया जायेगा।

9.4 निविदा पूर्व बैठक के बाद यदि निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में संशोधित करना आवश्यक समझता है तो यह ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन जारी करके किया जायेगा।

10. सत्यांकार निधि (इ.एम.डी.)

सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उत्पादन नियम 2015(यथा संशोधित 2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किया जायेगा। ऑफलाईन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

- 10.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।
- 10.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथा शीघ्र वापिस कर दी जायेगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)
- 10.5 सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है:
- 10.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदाकार जान बूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो;

या

सफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है;

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

- 10.6 सत्यांकार निधि जप्त करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उसपर सवाल नहीं उठाया जायेगा।
11. सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाईन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएँ और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रकाशित की जायेगी।
12. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिये दिशा-निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
13. पूर्व योग्यता मापदण्ड अनुलग्नक 4 में दिये गये हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिये उत्त्त्दायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफों में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिये पर्याप्त आधार होगा।
14. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाईन खोली जायेगी।
15. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
16. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाईन अपलोड करानी चाहिए और पोर्टल पर दिए गये बिल की मात्रा (BOQ) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।
17. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टेकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत में शामिल होगी। निविदाकार वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर

परिवहन के लिये उत्तरदायी होंगे, जो कि वनमंडल की भौगोलिक सीमा तक
निविदा मूल्य में जी.एस.टी. अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह
रूपये में होगा।

- सभी सम्भावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र.
के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस
संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण-पत्र
निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
19. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा- काली सूची
में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण-पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ रूपये 100 के स्टाम्प पेपर
पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(द) अनुबंध का पुरस्कार:

सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जायेगी। यदि ऐसा होता है की विभिन्न सामग्रियों के लिये प्राप्त न्यूनतम दरे अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किये जायेगे, जिनकी उक्त वस्तुओं के लिए क्रमशः सबसे कम दरे हैं।

29. क्वांटिटी टेंडर की स्थिति में न्यूनतम निविदाकर्ता को संविदा प्रदान की जाए, तथापि जहां तदर्थ आवश्यकता के लिए न्यूनतम स्वीकार्य निविदाकर्ता अपेक्षित पूरी मात्रा में आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है तो जहां तक संभव हो बाकी मात्रा की आपूर्ति करने का आदेश न्यूनतम निर्धारित दरां पर अगले उच्च उत्तरप्रद निविदाकर्ता को उक्त स्थिति में दिया जा सकेगा, जब उनके द्वारा प्रस्तुत दर एल 1+15 प्रतिशत की सीमा में है। उक्त संविदा एल-1 को शामिल करते हुए अधिकतम तीन बिडर को घटते हुए क्रम में ही प्रदान की जा सकेगी।
30. नियोक्ता सफल निविदाकारो को स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा की उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
31. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, उसे उस निविदा के लिये सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग II "महत्वपूर्ण तिथियो/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंक को छोड़कर) से सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) या बैंक गारण्टि के रूप में वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर जिला जबलपुर म.प्र. के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.) या बैंक गारण्टि की वैधता अनुबंध की समपूर्ण अवधि से 3माह से अधिक अवधि के लिये होगी। यदि धारा 2 के पेरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिये बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालाकी, यदि मूल निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिये वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापिस कर दी जायेगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वो का उचित निष्पादन किया गया है। हालाकि, विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना म.प्र. भण्डार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के अनुरूप की जायेगी।

32. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दण्ड की वसूली के लिये निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिये बिना, निष्पादन सुरक्षा की राशि को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकारी होगा। संदेह से बचने के लिये पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है की निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के नियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार को देय किसी भी बाद के भुगतान से काटौती कर सकता है, जैसे की वह इस अनुबंध के प्रावधानो के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हौ। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में निचे दी गई शर्तें शामिल हैं, लेकिन इन्ही तक सीमित नहीं है :-
- निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या, निविदाकार ने एसी सामग्री प्रदाय की जो समिति/वनमंडलाधिकारी की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इस लिये निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
 - निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधियो में शामिल है।
 - यदि निविदाकार लगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर उत्तरदायी है।
 - निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

32. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

- 32.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्ररूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।
- 32.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के प्ररूप में माना जायेगा। काम शुरू करने के लिये निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
- 32.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये निविदाकर्ता के लिये अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) जप्त कर ली जायेगी।
33. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुये 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसे वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।
34. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेन-देन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर। सभी कानूनी विवाद केवल म.प्र. के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के आधिनि होगा।

ई. अन्य नियम और शर्तें

36. ब्लेक स्टोन, क्रशड एग्रीगेट और रेत की आपूर्ति के संबंध में सफल निविदाकार को प्रतयेक बिल/चालान के साथ रॉयलटी रसीद प्रदान करनी होगी।
37. जहा भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (Voids) की कटौती की जाएगी।
38. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों में, निविदाकार OEM या OEM अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और उसी का प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
39. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परिक्षण करवा सकता है। सामग्री का परिक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जायेगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटीया पाई जाती है तो कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा, निष्पादन सुरक्षा जप्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लेकलिस्ट किया जा सकता है।
40. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तें और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गये किसी भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों को अपलोड नहीं करते हैं।
- 40.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किये गये दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का

झौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त की जा सकती है।

उपजाउ मिट्टी, जैविकखाद, गौबर खाद और मुरुम आदि जैसी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में, सामग्री को वैध स्रोत से खरिदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिये निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कह सकते हैं। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जायेगा और इसके लिये कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

- 40.3 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/ पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जायेगी। यदि कार्य पूरा करने के लिये निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और उसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि यदि सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है, तो उसमें समायोजित की जायेगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है तो सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) और निष्पादन सुरक्षा जमा जप्त कर ली जायेगी।
- 40.4 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दानो तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिये बाध्य होगा।
41. इस निविदा सूचना या जारी किये गये कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।
42. Dust, Sand एवं Murum के सफल निविदाकार के द्वारा भुगतान हेतु प्रेषित किये जाने वाले बिल के साथ Royalty Slip संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। Royalty Slip के अभाव में किसी भी प्रकार का भुगतान निविदाकार को नहीं किया जावेगा।

अनुलग्नक -1

प्रारूप : स्वघोषित - काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र
रूपये 100/- स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक -

सा में,

वनमंडल अधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर, जिला जबलपुर म.प्र.

महोदय/महोदया,

दिनांक _____ के निविदा संदर्भ संख्या _____ के प्रत्युत्तर में,
_____ के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में, मैं/हम
घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म _____ का
रिकार्ड बेदाग है तथा उसे किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनशुचित
काल के लिये या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित
नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा
भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और न
ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,
मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई
सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नाम :-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :-

संगठन की मुहर :-

दिनांक :-

स्थान :-

अनुलग्नक -2

प्रारूप: निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/ फर्म का विवरण

1. निविदाकर्ता/ फर्म का नाम :- _____
2. पिता _____ का नाम _____ :-

3. स्थायी पता मकान क्रमांक :- _____

- गली क्रमांक :- _____
- स्थान :- _____
- जिला _____ पिन कोड _____
4. कार्यालय _____ का पता _____ :-

- गली क्रमांक _____
- स्थान _____
- जिला _____ पिन कोड _____
5. सत्यांकार की राशि (इ.एम.डी.) का विवरण प्रकार:- एफ.डी.आर./बैंक गारंटी _____
- संख्या _____ दिनांक _____
- राशि _____
- बैंक _____ का नाम _____
6. जी.एस.टी. नंबर _____

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

में, _____

पिता/पति _____

घोषणा करता हू कि उपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगती पाई जाती है, तो उसके लिये मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूंगा। मेने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ा और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हू।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक -3

प्रारूप: समाग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाणपत्र

मैं/हम _____ जानता हू/ जानते हैं कि
समाग्री की आपूर्ति का दायरा सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र
होगा। मैं/हम _____ सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. के अंदर किसी भी
दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिये सहमत है।
मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।
मैंने/हमने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए
आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है और सभी कार्य
स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार के पास होना चाहिए:

“पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकर्ता द्वारा दी गई निविदा के मद्दो की संभावित राशि के दोगुने एवं समान कार्य का अनुभव निविदा के मद्दों की संभावित राशि के 25% से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।”

संयुक्त उध्यम (ज्वाइंट वेंचर)

अदि संयुक्त उध्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्न लिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उध्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएं निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगी:
 - क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामांकित किया जायेगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्तांतरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जायेगा,
 - ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो,
 - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उध्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जायेगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जायेगा,
 - घ. संयुक्त उध्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इसी आशय का एक कथन उपर [सी]के तहत उल्लेखित प्राधिकरण में शामिल किया जायेगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में [सफल निविदा के मामले में]
 - ङ. संयुक्त उध्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उध्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उध्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/ संशोधित नहीं किया जाना चाहिए,
 - च. संयुक्त उध्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और
 - छ. भागीदारों द्वारा किये गये संयुक्त उध्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मापदण्डों के साथ निविदाकार निष्पादन और निर्धारित करने के लिए संयुक्त उध्यम के प्रत्येक भागीदार के अंकड़े एक साथ जोड़े जायेंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उध्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
3. संयुक्त उध्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/ संयुक्त उध्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उध्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें
5. संयुक्त उध्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं) जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उध्यम में भागीदारों का विवरण नीचे दिये अनुसार प्रस्तुत करें:

| क्रमांक | भागीदारी विवरण | फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार) | फर्म "बी" | फर्म "सी" |
|---------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|
|---------|----------------|---------------------------|-----------|-----------|

अनुलग्नक -7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक _____ को वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. और मेसर्स _____ (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे निविदाकार "निविदाकार" कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकी निविदाकर्ता चाहता है की निविदाकार वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जायेगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया गया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है:

1. इस अनुबंध में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसे की आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या एसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जायेगा अर्थात्
 - I. स्वीकृति पत्र
 - II. निविदाकारों को निर्देश
 - III. अनुलग्नक 1 से 3
 - IV. बिलों की मात्रा (BOQ) और
 - V. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर _____ इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी:

उक्त _____ द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त _____ की उपस्थिति में:

वनमंडल अधिकारी

सामान्य वनमंडल जबलपुर म.प्र. निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर

अनुलग्नक -8

मेंपिता
पता प्रोपराईटर मेसर्स
आपके कार्यालय की निविदा क्रमांक में सफल होने पर मैं
द्वारा निविदा में उल्लेखित सामग्री निम्नानुसार कम्पनी/ब्रांड का प्रदाय करूंगा।

| सामग्री का नाम | स्पेसिफिकेशन | कम्पनी/ब्रांड का नाम |
|----------------|-------------------------------|----------------------|
| Cement | P.P.C. (ISI Mark) 50 K.G. Bag | |
| Iron | 8 MM (ISI Mark) | |
| | 10 MM (ISI Mark) | |
| | 12 MM (ISI Mark) | |

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील